



झाँसी पुलिस

प्रेस-नोट

थाना मोठ, जनपद झाँसी



दिनांक - 22.10.2026

थाना मोठ पुलिस द्वारा घर में घुसकर मारपीट, जान से मारने की नीयत से हमला करने व बलवे के अभियोग में वाँछित अभियुक्त गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश कर जिला कारागार भेजा गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 11.10.2026 को वादी थान सिंह निवासी ग्राम इमिलिया, थाना मोठ, झाँसी द्वारा थाना मोठ पर तहरीर दी गई थी कि अभियुक्तगण द्वारा पुराने विवाद को लेकर उनके घर के अंदर घुसकर जान से मारने की नीयत से मारपीट की गई, गाली-गलौज की गई तथा वीडियो बनाने पर धमकी देकर भाग गए। इसके बाद जब वादी, उनके पुत्र मोहित व उनकी माँ रामजानकी प्रार्थना पत्र देने थाना मोठ आ रहे थे, तब रास्ते में उन्हें रोककर लाठी, कुल्हाड़ी व कट्टे से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया तथा मरा समझकर छोड़ दिया गया। इस संबंध में थाना मोठ पर मु0अ0सं0 184/2026, धारा 191(2)/191(3)/190/333/115(2)/352/351(3)/109/126(2) BNS पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, झाँसी श्री विकास कुमार द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाये जाने हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण डॉ0 अरविन्द कुमार व क्षेत्राधिकारी मोठ श्री सुनील कुमार शर्मा के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र सिंह के कुशल नेतृत्व में-

आज दिनांक 22.10.2026 को मुकदमे से संबंधित वाँछित अभियुक्त सुरेन्द्र सिंह पुत्र गोविन्ददास 45 वर्ष निवासी ग्राम इमिलिया, थाना-मोठ, जिला-झाँसी को थाना मोठ पुलिस के द्वारा जौरा रोड पुल के नीचे थाना मोठ जिला झाँसी को जौरा रोड पुल के नीचे से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहाँ से न्यायालय के आदेशानुसार उसे न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार झाँसी भेजा गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम:- सुरेन्द्र सिंह पुत्र गोविन्ददास 45 वर्ष निवासी ग्राम इमिलिया, थाना-मोठ, जिला-झाँसी

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. व0उ0नि0 दिनेशचन्द्र थाना मोठ जिला झाँसी,
2. का0 कमलेश कुमार थाना मोठ जिला झाँसी।